संक्षिप्त समाचार

उतई भाजपा के वार्ड प्रभारी घोषित

उतई(चिंतक)। भाजपा उतई मण्डल के मण्डल अध्यक्ष फत्तेलाल वर्मा के आदेशानुसार मण्डल महामंत्री सोनू राजपूत की अनुसंसा पर उतई भाजपा नगर अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण साहू द्वारा उतई नगर के कुल 15 वार्ड के वार्ड प्रभारियों की घोषणा की गई।

जिसमें वरुण चंद्राकर - वार्ड 1 इंदिरा नगर उतई, पुकेश साहू - आशीष नगर वार्ड 2, द्रोण कुमार साहू - बाजार चौक उतई वार्ड 3, शुभम साहू - सद्भावना चौक उतई वार्ड04, तुकेंद्र ठाकुर - हथखोज पारा वार्ड 5, दीपक मार्कण्डेय - भाठापारा वार्ड 6,ओ पी चंद्राकर - एकता नगर वार्ड 7, खूबी राम साहू बंजारी पारा वार्ड 8, डिकेश साहू - नेहरू नगर उतई वार्ड 9, रोशन सिंह बंभोले - बंजारी पारा वार्ड 10, उमेश कुमार साहू - आदर्श नगर उतई वार्ड 11, नवीन भारती - गांधी चौक उतई वार्ड 12, देवेश साहू - नयापारा वार्ड 13, मोहन यादव - हथखोज पारा वार्ड 14 उतई, शुभम यदु - बजरंग नगर उतई वार्ड 15 उतई शामिल है।

मिट्टी फिलिंग का कार्य पूर्ण

बालोद(चिन्तक)। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने जिले के गुरूर विकासखण्ड के ग्राम मरकाटोला में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु खोदे गए गड्ढे से ग्रामीणों को परेशानी होने की जानकारी मिलने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को पाईप लाईन कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता आर.के.धनंजय ने दी जानकारी

शासकीय स्कूलों की दो प्राचार्यो ने शत-प्रतिशत हितग्राही बच्चों को लगवाया टीका

0 कैंप 2 स्कूल, पावरहाउस एवं शासकीय हाई स्कूल पुलगांव का लक्ष्य पूरा 0 घर जाकर अभिभावकों को तैयार किया और एक हफ्ते के भीतर ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया

दुर्ग (चिन्तक)। अपने स्कूल की बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता अपने बच्चों की तरह करने का उदाहरण दुर्ग जिले में मिल रहा है और प्राचार्य तथा शिक्षक हितग्राही बच्चों को टीका लगवा रहे हैं। कुछ मामलों में तो इसमें कमाल हुआ है जैसे कैंप 2 स्कूल पावरहाउस एवं शासकीय हाईस्कूल पुलगांव में लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। यहां शासन द्वारा निर्धारित आयु वर्ग 15 से 18 वर्ष के हितग्राही सभी बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। कैंप 2 स्कूल की प्राचार्य शैलजा राजेंद्रन उन बच्चों के घर भी गईं जिनके अभिभावक टीका लगाने में परहेज कर रहे थे और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्रीमती शैलजा ने बताया कि हमने सबसे पहले अभिभावकों की मीटिंग ली और बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है और इसके चलते शासन 15 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को टीका लगवा रही है। कोरोना से सुरक्षा की सबसे बड़ी कड़ी टीका ही है। कुछ अभिभावक पूर्व से ही टीका का महत्व समझते थे और कुछ बैठक के बाद इसके लिए सहमत हुए। श्रीमती शैलजा ने बताया कि जो बच्चे टीका लगाने नहीं पहुंचे, उनके घर गईं। अभिभावकों से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि किस प्रकार टीका कारगर होता है। श्रीमती शैलजा के स्कूल में 64 बच्चों को टीके लगने थे और सबको टीके लगवा लिये गये। श्रीमती शैलजा ने बताया कि प्राचार्य के रूप में हम स्कूल परिवार के मुखिया हैं। परिवार में सब स्वस्थ रहें, इसकी चिंता सबसे पहले होती है। इसलिए जैसे ही अभियान शुरू हुआ, हमने तेजी से इस दिशा में काम किया और इस बात का संतोष है कि सभी पात्र बच्चों को टीके लग गये। इसी प्रकार शासकीय हाईस्कूल पुलगांव में भी 48 बच्चों को टीका लगना था और सभी बच्चों को टीके लगवा दिये गये। इस संबंध में जानकारी देते हुए संयुक्त कलेक्टर सु प्रियंका वर्मा ने बताया कि कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन में स्कूली बच्चों को टीकाकरण के अभियान की निरंतर मानिटरिंग की जा रही है। प्रथम चरण के अंतर्गत 1 लाख 51 हजार 182 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य है, जिसे हम सफ्लतापूर्वक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भी अभिभावकों की काउंसिलिंग की जा रही है। इससे अभिभावक टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी सीबी बंजारे ने बताया कि टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। कार्य जल्दी से पूरा हो जाए, इसके लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के 1 लाख 51 हजार 182 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया था और इसे पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है।

कलेक्टर ने किया स्वास्थ्य विभाग के कैलेंडर का विमोचन

दुर्ग (चिन्तक)। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज स्वास्थ्य विभाग के कैलेंडर का विमोचन किया। कैलेंडर में दुर्ग जिले में स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों से संबंधित चित्र और सामग्री साझा किये गये हैं। इनमें कोविड कंट्रोल को लेकर किये गये प्रयासों के साथ ही जिला चिकित्सालय में नई चिकित्सकीय सुविधाएं, स्वास्थ्य केंद्रों में अन्य सुविधाएं एवं हेल्थ के क्षेत्र में नई अधोसंरचनाओं पर किया जा रहा कार्य भी शामिल है।

कलेक्टर से आज स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधिमंडल मिला। कलेक्टर ने कैलेंडर की सामग्री देखकर प्रशंसा व्यक्त की। सीएमएचओ डॉ. गंभीर सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कलेक्टर को बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर साल जिले में कैलेंडर का प्रकाशन किया जाता है और कोशिश की जाती है कि हर बार अलग थीम पर कैलेंडर जारी हो और इसके माध्यम से जिले में हो रहे स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी जाए। इस अवसर पर सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ. पी बालकिशोर, जिला मलेरिया एवं टीकाकरण अधिकारी डॉ. सीबीएस बंजारे, जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट डॉ. अरुण साहू, जीवन दीप समिति के कार्यकारिणी सदस्य दिलीप ठाकुर एवं दुष्यंत देवांगन भी उपस्थित थे।

कोविड मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद

ऑक्सीनेटेड बेड की व्यवस्था के साथ होम आइसोलेशन के लिए भी डॉक्टर तैनात

दुर्ग (चिन्तक)। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला में कोरोना संक्रमण दर बढ़ रहा है जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 625 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था कर ली है। साथ ही बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था भी की है।

जिले में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोविड अस्पतालों की तैयारी का जायजा भी लिया। इसी कर्म में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में विशेष व्यवस्था की है। साथ ही प्रतिदिन कोविड-19 की जांच भी की जा रही है।

बच्चों के लिए खास व्यवस्था - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कोविड से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे विभाग की ओर से जिले में कोरोना के मामलों को देखते हुए तैयारी कर ली गई है। जिले में वयस्क कोविड मरीजों के साथ-साथ बच्चों की चिकित्सा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कोविड मरीजों के लिए 625 ऑक्सीजन युक्त बेड्स की तैयारी है। इनमें वयस्क मरीजों के लिए 35 आईसीयू हैं। वहीं बच्चों के लिए कुल 25 बिस्तर पीडियाट्रिक आईसीयू और एचडीयू (हाई डिपेंडेंसी यूनिट) मुख्य हैं। इतना ही नहीं विभाग ने प्रतिदिन 2500 से 2700 कोरोना टेस्टिंग करने का लक्ष्य रखा है और प्रतिदिन लगभग 80-90 प्रतिशत टेस्टिंग की जा रही है। इसके साथ ही मरीज बढ़ने पर भी अतिरिक्त व्यवस्था की तैयारी है।स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग - कंट्रोल रूम बनाकर होम आइसोलेशन के लिए 10 डॉक्टरों के टीम की तैनाती कर दी गई है।

130 लोगो को कुर्की वारंट जारी होने से हड़कंप

0 वारंट मिलते ही बकाया जमा कर रहें 0 निगम ने 9 लोगो से वसूला गया 146753 रुपए

हितग्राही द्वारा कुर्की के लिए निगम ने दो टीम बनाई गई थी।

दुर्ग(चिन्तक)। नगर पालिक निगम लंबे समय से कर का भुगतान नहीं करने वाले बकायादारों पर निगम ने एक बार फिर शिकंजा कसना शुरू किया है तो 130 लोगो को कुर्की वारंट जारी होने से हड़कंप,वारंट मिलते ही बकाया जमा कर रहें लोग 130 बकायादारों की संपत्ति कुर्क करने निगम ने वारंट जारी किया गया।

निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने बताया कि इन बकायादारों का बकाया कर का भुगतान करने के लिए पहले भी डिमांड नोटिस जारी किया जा चुका है। लेकिन बकायादारों पर इसका असर देखने को नहीं मिला था कुर्की वारन्ट जारी होते ही लोग बकाया राशि जमा करने कर रहे। आयुक्त हरेश मंडावी ने बताया कि कर का भुगतान नहीं किए जाने की सूरत में करदाताओं की संपत्ति कुर्क किए जाने का प्रावधान है। ऐसे 130 बकायादारों की संपत्ति कुर्क करने वारंट जारी किया गया है। कुर्की के लिए दो टीम भी बनाई गई है। जिसमें निगम के राजस्व विभाग ने लोगो से बकाया राशि लेने पहुँचे इन लोगो ने पटाया अपना बकाया राशिश्रीमती सावित्री सोनी वार्ड क्रमांक 7 द्वारा 28196 रुपए बी पी अग्रवाल वार्ड क्रमांक 13 द्वारा 5544 रुपए सुंदर लाल गुप्ता वार्ड क्रमांक 1 के द्वारा 10 728 रुपए रतन लाल जैन वार्ड क्रमांक 38 द्वारा 10200 हेमराज जैन वार्ड क्रमांक 38 द्वारा 9924 हीरालाल लाखे वार्ड क्रमांक 31 द्वारा श्रीमती पुष्पा शर्मा वार्ड क्रमांक 140 द्वारा 11496 रुपए अब तक कुल 146753 रुपए निगम कोष में जमा हुआ।

प्रशासन की सतर्कता से रूका बाल विवाह

दुर्ग, (चिन्तक)।। जनवरी को थाना भिलाई नगर से सूचना प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग, चाईल्ड लाईन एवं सुपेला थाना पुलिस की टीम द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु जानकारी प्राप्त करने टीम पहुंची थी, जानकारी के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के अनुसार बालिका का उम्र 16 वर्षीय होने की जानकारी प्राप्त हुई। टीम के पहुंचने पर बालिका के परिजनों विवाह रोकने से इंकार कर दिया गया। पुन: आज कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सहयोग से बाल विवाह होने की सूचना के आधार पर परियोजना अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं थाना सुपेला भिलाई के थाना प्रभारी के संयुक्त टीम द्वारा आज फरीद नगर भिलाई में बाल विवाह रोकने हेतु टीम विवाह स्थल पर पहुंची विवाह स्थल पहुंचकर टीम द्वारा दस्तावेज मांगने पर बालिका के परिजनों द्वारा बालिका का जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया।

जय माँ काली स्व सहायता समूह का गठन

उतई(चिंतक) जय माँ काली स्व सहायता समूह के नाम से एक नये समुह का गठन किया गया

इसकी बैठक ललिता सिहं के द्वारा ली गई । समुह की बहनौ को समुह के नियमौ की जानकारी दी गई तथा हर माह बैठक करके रजिस्टर में लेन देन आय ब्यय को कैसे लिखना है । इसकी जानकारी दी । स्व सहायता समूह की बहनो ने समुह के अध्यक्ष, सचीव, कोषाध्यक्ष का चुनाव किया । इस बैठक में जै माता दी समुह की अध्यक्ष खिलेश्वरी धलेन्द्र भी उपस्थित रही।

जिन्होंने बहनौ को समुह बनाने से होने वाले लाभ को समझाया ओर सभी को एकजुट होकर काम करने की सलाह दी बैठक मै टिकेश्वरी ठाकुर भी उपस्थित रही . आरती भारती , रम्भा बाई ठाकुर, खोमिन बाई साहू , हेमलता देवांगन, संगीता साहू प्रेमीन साहू अंजनी बाई यादव भारती विश्वकर्मा सुरूची बाई पुर्णिमा बाई साहू माधुरी साहू गोमती निर्मलकर जय माँ काली समुह की सदस्य उपस्थित रहीं ।

कार्यालय कलेक्टर जिला बालोद (छ.ग.)

// सार्वजनिक सूचना//

क्रमांक/5/ कले./भूअर्जन/भूकनी/2021 **बालोद दिनांक 1/12/2021**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत परियोजना प्रबंधक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट, छ.ग. सड़क क्षेत्र परियोजना, लो.नि.वि., राजनांदगांव मुख्यालय दुर्ग (छ.ग.)विभाग के अंतर्गत पुरूर -फागुन्दा-पलारी -अरकार -बेल्हारी-जामगांव मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण योजना हेतु **ग्राम बोहारा, प.ह.न.-05, तहसील गुरूर, जिला बालोद छ.ग.)** की भूमि की आवश्यकता होने से परियोजना प्रबंधक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट, छ.ग. सड़क क्षेत्र परियोजना, लो.नि.वि., राजनांदगांव मुख्यालय दुर्ग के पक्ष में निम्नांकित कृषकों /भू -धारकों की भूमि को क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है

क्रं.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.)	क्रय करने हेतु प्रस्तावित रकबा	
				हे.	(व.मी.)
1	2	3	4	5	6
1	सोहन पिता-जोगराज	61/1	0.0900	0.0175	175
2	लोभान पिता फिरतु	62/1	0.0900	0.0325	325
3	चुन्नीलाल पिता बिसाहू	63/4	0.1100	0.0059	59
4	हीरालाल पिता बिसाहू	63/3	0.1200	0.0062	62
5	रोमलाल पिता बिसाहू	63/2	0.1100	0.0076	76
6	ठाकुरराम, रघ्घू पिता फिरतू	124	0.2500	0.0056	56
7	भागवत, ललित, लीलाराम, ललिता बाई, अश्वनी, पिता बिसनाथ, अमृतबाई बेवा बिसनाथ	125/1	0.0500	0.0022	22
8	संजीवकुमार, भूपेश सोनवानी, पिता चुन्नीलाल	126/6	0.0870	0.0035	35
		126/13	0.0230	0.0032	32
		योग	0.1100	0.0067	67
9	मानकुमारी पिता हजारीराम, पुष्पेन्द्र, डामन पिता डिवेन्द्र	126/7	0.0600	0.0044	44
10	पेमीन पिता-देवचरण	126/8	0.0600	0.0024	24
11	दुजराम, चन्द्रहास, उषा, सरस्वती, पिता चैतराम, केजाबाई पति चैतराम	130/1	0.1000	0.0054	54
12	परमेश्वर पिता तामलाल	76	4.1000	0.0102	102
13	बिन्दाबाई पिता तामलाल	12	0.1900	0.0084	84
		13/1	0.8000	0.0137	137
		योग	0.9900	0.0221	221
14	बलराम पिता भरोसाराम	61/2	0.0100	0.0044	44
15	डुगरुराम पिता बिसाहू	63/1	0.1100	0.0065	65
	योग: 15-खातेदार 17-खसरा		7.1700	0.1396	1396

उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के विषय में किसी को कोई आपत्ति हो, तो 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वत: अथवा अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से आधार सहित मेरे समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

कलेक्टर
जिला-बालोद

जी-66582/1

।। न्यायालय तहसीलदार, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)।।
उद्घोषणा

/ अ-6/वर्ष 21-22

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक महेन्द्र कुमार कुमावत पिता नारायण लाल कुमावत निवासी ग्राम ग्राम मधुबन नगर बोरसी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 270/35 रकबा 1200 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता डॉ. किरण गुप्ता पति राहुल गुप्ता निवासी ग्राम एचआईजी 8 पद्मनाभपुर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 30/12/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 19/01/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पचात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 04/01/2022 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक-04/01/22
सुनवाई दिनांक-19/01/22

मुहर **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

।। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।
उद्घोषणा

202201100700054/ अ-06 अ/2021-22

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक चमन लाल खेरडे पिता बुधारु राम खेरडे निवासी ग्राम से.5 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 227/32 रकबा 0.014 हे. भूमि को विकेता महेर नसीम पिता सैय्यद मोबीन उर्रहमान निवासी ग्राम सेक्टर 2 भिलाई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27/12/21 को क्रय किया गया है।
उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 22/01/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 03/01/22 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक -03/01/22
सुनवाई दिनांक -22/01/22

मुहर **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

।। न्यायालय नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

आवेदिका श्रीमती भारती तिवारी पति स्व. जे.पी. तिवारी निवासी 82 जवाहर नगर दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि दुर्ग में स्थित नजूल भूमि शीट क्रमांक 86 एवं 87 प्लाट नं. 4/2, 1/3 कुल रकबा 121405 वर्गमीटर भूमि तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. जवाहर नगर दुर्ग को आबंटित है, जिसकी वैधता वर्ष 2032 तक है। उक्त समिति द्वारा उन्हें आबंटित भूमि में से आवेदिका को भूखंड क्रं. 82 क्षेत्रफल 1750 वर्गफीट का उप पट्टा आबंटित किया गया है। आवेदिका द्वारा उन्हें उप पट्टे में प्राप्त उक्त शीट के भूखण्ड क्रं. 82 रकबा 1750 वर्गफीट के नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव एतद द्वारा सर्व साधाारण एवं आम नजता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा या आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 28.01.2022 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वत: या किसी व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिस भू-खंड संबंधी जानकारी हो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। नियत तिथि पश्चात प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर **नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)**

।। न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)।।
उद्घोषणा-पत्र

मामला क्रमांक/ / अ-6/ 2021-22

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका शशि हंसराज विश्वकर्मा पति हंसराज विश्वकर्मा निवासी वार्ड 40 केलाबाड़ी दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम नगपुरा प.ह.नं. 2 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 104/1 रकबा 100.09 वर्गफीट भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता जगदीश सिन्हा पिता/पति मुजनू के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अब जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेा करना हो तो पेशी दिनांक 19/01/22 तक स्वयं अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 04/01/22 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से यह पत्र प्रकाश हेतु जारी किया गया है।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

।। न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)।।
उद्घोषणा-पत्र

मामला क्रमांक/ / अ-6/ 2021-22

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका राजवंतीन बाई पति स्व. मन्नूलाल अन्य 4 निवासी मथरिया तह. व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायलय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पति के नाम पर ग्राम बेलौदी प.ह.नं. 2 तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसर नं. 206/3, 425/4, 431/2 रकबा 0.0700, 0.1100, 0.0600 हेक्टेयर भूमि एकल खाता/शामिल खाता में दर्ज है। खतेदार/सहखातेदार मन्नू की मृत्यु दिनांक 10/03/2021 को होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हुत आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है। अत: जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 18/01/22 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति/आपेक्ष पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 04/01/22 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से यह उद्घोषणा पत्र प्रकाश हेतु जारी किया गया है।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

।। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।
उद्घोषणा

/ अ-6/ वर्ष 20-21/22

एतद व्दारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती पमिला दास पिता/पति अरविन्द दास निवासी ग्राम त्रिमूर्ति नगर रायपुर तहसील रायपुर जिला रायपुर के व्दारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 198/5 रकबा 0.032 हे.भूमि को विक्रेता अन्नपूर्णा सिन्हा व अन्य पिता/पति गंगाराम सिन्हा निवासी आजाद वार्ड नं. 37 दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 15/12/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 24/01/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 4/1/2022 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक -4/1/2022
सुनवाई दिनांक -24/1/22

मुहर **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

।। न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)।।
उद्घोषणा-पत्र

मामला क्रमांक/ / अ-6/ 2021-22

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका विनोद देशमुख पिता/पति छोटेलाल निवासी अंजोरा (ढाबा) तह. व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायलय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पिता एवं अन्य के नाम पर ग्राम ....प.ह.नं....तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसर नं.100, 101, 103,104/1, 481, 487, 957, 958, 1093, 1555, 1582, 1584, 1813, 1814, 2143, 2146, 2152, 2376 कुल 18 रकबा कुल 2.2000 हेक्टेयर भूमि एकल खाता/शामिल खाता में दर्ज है। खतेदार छोटेलाल की मृत्यु दिनांक 10/11/2021 को होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हुत आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है। अत: जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 18/01/22 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति/आपेक्ष पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 3/1/22 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से यह उद्घोषणा पत्र प्रकाश हेतु जारी किया गया है।

मुहर **अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

।। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।
उद्घोषणा

/ अ-6/ वर्ष 21-22

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ललित किशोर कुमावत पिता कैलाश चंद कुमावत निवासी ग्राम धनोरा रोड बोरसी तह. व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि को विक्रेता डॉ. किरण गुप्ता पिता/पति राहुल गुप्ता निवासी ग्राम एचआईजी 8 पद्मनाभपुर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 30/12/21 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 19/01/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 04/01/2022 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक -04/11/2022
सुनवाई दिनांक -19/01/22

मुहर **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

।। न्यायालय नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)।।
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./ / अ-6/ वर्ष 2021-22

एतद द्वारा सव्र साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पुरूषोत्तम लाल साहू पिता टहल सिंह साहू निवासी ग्राम मातरोडीह तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा मौजा मातरोडीह प.ह.नं. 46 स्थित भूमि खसरा नंबर 83, 84, 201, 368/1 रकबा क्रमशः 0.52, 0.41, 0.04, 0.01 हे. कुल रकबा 0.98 हे. जो कि पुरूषोत्तम पिता टहल सिंह साहू, चम्पा बाई पिता टहल सिंह साहू, उर्वशी पिता टहल सिंह सहू, श्याम बाई पिता टहल सिंह साहू एवं श्रीमती कामिन बाई साहू पति टहल सिंह साहू के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। श्रीमती कामिन बाई साहू पति टहल सिंह साहू की मृत्यु दिनांक 08/12/2019 को हो गयी है, मृतक भूस्वामी श्रीमती कामिन बाई साहू पति टहल सिंह साहू के मृत्यु उपरांत राजस्व अभिलेख से नाम विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम दर्ज किये जाने आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 17.01.2022 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 01.01.2022 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर **नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

।। न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग ।।
इश्तहार

रा.प्र.क्र./202201100700068/अ-06 अ/2021-22

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका पार्वती देवी पति रामेश्वर गिरी निवासी एस. नंबर 06, आर.के.एस. गार्डन प्रदिप्ति नगर बोरसी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी प.ह.नं. 23 स्थित भूमि खसरा नंबर 226/116 रकबा 0.011 हे. भूमि को विक्रेता त्रिपुरारी यादव आ. सखनलाल यादव निवासी बचेली से पंजीकृत बैनामा दिनांक 16.03.2016 को क्रय किया गया था, जिसका विधिवत नामांतरण इस न्यायालय के रा.प्र.क्र. 1783,/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2016 के तहत होकर आवेदिका का नाम दर्ज हो चुका था, किंतु वर्तमान राजस्व अभिलेख में विक्रेता का नाम पूर्ववत दर्ज होने से उक्त त्रुटि सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.01.2022 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 06/01/2022 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक -06/01/2022
सुनवाई दिनांक -28/01/2022

मुहर **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

।। न्यायालय तहसीलदार, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)।।
उद्घोषणा

/ अ-6/वर्ष 20-21/22

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रवेन्द्र कुमार देशलहरा पिता अलखराम देशलहरा निवासी ग्राम डौंडी तहसील डौंडीलोहारा जिला बालोद के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 89/327 (भा. 116/67 एवं 117/61) रकबा 0.0180 हे.भूमि को विक्रेता चन्द्रशेखर मानिकपुरी पिता एन.डी. मानिकपुरी निवासी ग्राम डोंगीतराई से रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 20/1/22 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पचात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 6/1/2022 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

जारी दिनांक-5/1/2022
सुनवाई दिनांक-20/1/2022

मुहर **तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**